

7-5-18

यह दावा की रजिस्ट्रेशन तब से प्रेष किया
गया। रिपोर्ट यह लम्बे का अवलोकन किया
गया। इसका इर्षा सफ़र के तहत लम्बी जितनी
की जाकर पत्रावली दिनांक 7-5-18 को प्रेषित

उप जिला कलेक्टर
भायनवास (म० मा०)

7/5/2018

पत्रावली प्रेषित हुई। वादी / प्रतिवादीगण उपर / उभयपक्ष
की पहचान वकील वादी द्वारा की गई। उभय
पक्ष द्वारा सहजार्थ पत्र प्रेष कर मुताबिक दावा
डिफेंड करने का निर्देश किया गया। तथा
उभयपक्ष द्वारा अवगत कराया की हम दोनों
पक्ष राजस्व लोक अदालत की भावना से दावा
डिफेंड करना चाहते हैं। अतः दावा डिफेंड
किया जावे। मुताबिक सहजार्थ पत्र प्रेष होने
पर दावा के अनुसार दावा अंतिम डिफेंड
किया जाता है। सहजार्थ पत्र, डिफेंड निर्णय
का भाग रहेगा। डिफेंड जारी की जावे। पत्रावली
फैसल नुसार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली
बाद लम्बी रजिस्ट्रेशन दाखिल की जावे।

उप जिला कलेक्टर
भायनवास (म० मा०)

गूल वान में दिवंगी

(बॉक्स 20 एल 6-7 सी.पी.सी.)

ब्यागनवास जम मिना कलेक्टर ब्यागनवास

पीछरीन अधिवारी: रामकिशोर गीना, आर.ए.एस.

लक्ष्मण दत्तक पुत्र सेही, जाति जोगी, जिवासी जिवाली, बहरील
ब्यागनवास, जिला सवाई गांधीपुर, वादी

बनाम

1. प्रभू पुत्र जोहरी,
2. शांति पत्नी बाबू,
3. बनवारी पुत्र बाबू,
4. विनोद पुत्र बाबू,
5. सुशीला पुत्री बाबू,
6. रसाली पुत्री बाबू,
7. सावित्री पुत्री बाबू,
8. राजेश पुत्र सीताराम,
9. लखन पुत्र सीताराम,
10. संतोष पुत्र स्व. लल्लू,
11. दिनेश पुत्र स्व. लल्लू,
12. राजेन्द्र पुत्र स्व. लल्लू,
13. पप्पू पुत्र स्व. लल्लू,
14. सोनू पुत्र स्व. लल्लू,
15. रिकू पुत्र स्व. लल्लू,
16. गणेश पुत्र स्व. लल्लू,
17. अंगूरी पत्नी लल्लू
18. किशोरी पुत्र लहरी एवं
19. बंशी पुत्र लहरी
20. भगवानी पत्नी बदरी
21. रमेश पुत्र बदरी
22. पप्पू पुत्र बदरी,
23. चेताराम पुत्र बदरी

दोनों अवयस्क, जरिये संरक्षिका
माता श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी
लल्लू



उप जिला कलेक्टर
ब्यागनवास (स० मा०)

सभी जाति जोगी निवासी लिवाली, तहसील बामनवास
24, लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा खातेदारी,

भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या

दिनांक: 07-5-2018

वादी स्वयं अपने अधिवक्ता श्री रामसिंह मीना सहित उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजय सिंह गुर्जर उपस्थित । इस वाद में आज दिनांक 2.5.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण लगायत 1 लगायत 23 की आपसी सहमति के आधार पर डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि,

1. लिवाली स्थित आराजी खसरा नम्बर 63, 67 एवं 69, कुल किता तीन, कुल रकवा 1.50 हैक्टेयर (खाता संख्या 73), खसरा नम्बर 594, 595, 598, 600 लगायत 612, कुल किता सोलह, कुल रकवा 1.27 हैक्टेयर (खाता संख्या 176), खसरा नम्बर 1040, 1041, 1042 एवं 1481 कुल किता चार कुल रकवा 2.87 हैक्टेयर (खाता संख्या 166), खसरा नम्बर 1083, 1084, कुल किता दो कुल रकवा 0.69 हैक्टेयर (खाता संख्या 183), खसरा नम्बर 86, 89, 1914, 1915, 1918, 1919 कुल किता छः कुल रकवा 2.79 हैक्टेयर (खाता संख्या 331), खसरा नम्बर 2431, 2434 लगायत 2442, 2445 व 2448, कुल किता बारह,




अप जिला कलेक्टर
बामनवास (स० मा०)

कुल रकवा 1.05 हैक्टियर (खाता संख्या 199), इस प्रकार संपूर्ण कुल किता 4.3 कुल रकवा 10.17 हैक्टियर के संदर्भ में राजस्व रिकॉर्ड में जहाँ कहीं भी वादी लक्ष्मण के पिता का नाम जोहरी या जोहरी नाथ अंकित किया गया हो, वहाँ से जोहरी या जोहरी नाथ के स्थान पर सेड़ी नाथ प्रतिस्थापित किया जावे,

2. उपरोक्त वर्णित संपूर्ण आराजियात् में से 1/3 हिस्से की खातेदारी वादी लक्ष्मण दत्तक पुत्र सेड़ीनाथ के नाम, 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 - प्रभू पुत्र जोहरी, शांति पत्नी बाबू, बनवारी, विनोद पुत्रगण बाबू, सुशीला, रसाली, सावित्री पुत्रीगण बाबू, राजेश, लखन पुत्रगण सीताराम, संतोष, दिनेश, राजेन्द्र, पप्पू व सोनू पुत्रगण लल्लू, रिकू व गणेश पुत्र लल्लू, दोनों अवयस्क, जरिये संरक्षिका माता श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी लल्लू व अंगूरी पत्नी लल्लू के नाम व 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 - किशोरी, बंशी पुत्रगण लहरी, भगवानी पत्नी बदरी, रमेश, पप्पू व चेताराम पुत्रगण बदरी - के नाम दर्ज की जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन किए जावें,


3. मौके पर सभी पक्षकारान की सहमति के आधार पर संपूर्ण आराजियात् में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 व प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 के मध्य 1/3 - 1/3 हिस्से में भूमि का समान रूप से विभाजन किया जावे और इसी अनुसार राजस्व/रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन भी



अप जिला कलेक्टर
बारमुला (सं. मा.)

किया जावे । पक्षकारान की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत किया गया सहमति पत्र डिकी का भाग रहेगा ।

डिकी मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 5/5/2018 को जारी की गई ।



(रामकिशोर श्रीवास्तव)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

नोट:- अदालत दिनांक 26-7-2018 द्वारा शर्तनामा पत्र 152 CPC खींशर होने पर उक्त डिकी में ग्राम का नाम लिवाली की जगह गोबडा किया जाता है। अतः लिवाली की जगह गोबडा पत्र आवे। ग्राम गोबडा में ख.नं. 63, 67, एवं 69 कुल डिता 3 रकबा 1.50 हेक्टर ग्राम गोबडा के लन में है।

उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स० मा०)